स्मार पत्र

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

संचिका संख्या– प0नि0 30–63/2026..........3227

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक:–.....5.8.26.....

विषय:– वर्ष 2022–2023 में कराये गए जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:– आयोग के पत्रांक–3143, दिनांक–30.07.2026

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि पंचायती राज विभाग के अधिसूचना संख्या–10745, दिनांक–20.07.2026 द्वारा वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों का परिसीमन नये सिरे से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रासंगिक अधिूसचना के कंडिका–7 के प्रावधानानुसार एक से अधिक ग्रामों को समाविष्ट कर घोषित ग्राम पंचायत क्षेत्र का मुख्यालय उक्त क्षेत्र में समाविष्ट अधिसंख्यक जनसंख्या के ग्राम में होगा परन्तु यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की संख्या उक्त क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो तो उसका मुख्यालय वह ग्राम होगा जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो की संख्या (का अनुपात) सबसे अधिक हो।

ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2011 की जनगणना में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या उपलब्ध नहीं है जिसके कारण सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में पंचायतों के परिसीमन किये जाने के उपरांत तत्संबंधी पंचायतों के मुख्यालय निर्धारण/नामाकरण में समस्या होगी।

अतः अनुरोध है कि जनहित, राज्यहित एवं संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु पंचायतों के परिसीमन के क्रम में राजस्व ग्रामवार वार्डों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर पंचायतों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की आवश्यकता है।

निदेशानुसार तत्संबंधी जनसंख्या के आंकड़े विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाए।

<u>**अनु0–विहित प्रपत्र, कैबिनेट निर्णय एवं अधिसूचना की प्रति**</u>

विश्वासभाजन

ह0/-

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847) E-mail: secbihar@gmail.com

(1)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

सं0 – 6प० / प०नि० / 01–03 / 2026 / 10745 / पं०रा०   पटना, दिनांक 20/7/26

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा के निमित्त निम्नलिखित आदेश देते हैं :–

आदेश

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त के सामान्य अथवा विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश तथा निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जिला दंडाधिकारी प्रत्येक प्रखण्ड में अवस्थित ग्रामों के लिये ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करेगा।

2. ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन / परिसीमन वर्ष 2011 में प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा।

3. सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों का गठन / परिसीमन राजस्व ग्राम के अनुसार नये सिरे से किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा के लिए प्रखंड को इकाई के रूप में माना जाएगा।

5. ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण प्रखण्ड के उत्तर–पश्चिम से प्रारम्भ होकर दक्षिण–पूर्व में समाप्त होगा।

6. किसी ग्राम को विभक्त नहीं किया जाएगा जबतक कि उसमें दो या उससे अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक नहीं हो।

7. एक से अधिक ग्रामों को समाविष्ट कर घोषित ग्राम पंचायत क्षेत्र का मुख्यालय उक्त क्षेत्र में समाविष्ट अधिसंख्यक जनसंख्या के ग्राम में होगा।

परन्तु यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की संख्या उक्त क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक

हो तो उसका मुख्यालय वह ग्राम होगा जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की संख्या (का अनुपात) सबसे अधिक हो।

8. ग्राम पंचायत क्षेत्र का नाम उस ग्राम के नाम से घोषित किया जायेगा जिस ग्राम में ग्राम पंचायत का मुख्यालय अवस्थित होगा, परन्तु जहाँ एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो वहाँ संबंधित क्षेत्र की अवस्थिति की दिशा के साथ उसी ग्राम के नाम से घोषित किया जायेगा।

9. ग्राम पंचायत क्षेत्र के गठन/परिसीमन में क्षेत्रों की सीमाएँ जहाँ तक संभव हो, प्राकृतिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सड़क, रेलवे लाईन और अन्य सार्वजनिक संस्थान जैसे– स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले तत्वों को भी सीमा माना जा सकता है।

10. जिला स्तर पर किये जा रहे ग्राम पंचायत क्षेत्रों का गठन/परिसीमन कार्य का सतत् अनुश्रवण संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा तथा राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

11. ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्धारण का प्रारूप प्रपत्र–1 में ग्राम पंचायत, संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के सूचना–पट पर चिपका कर प्रकाशित किया जायेगा तथा संचार के विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार–प्रसार कराया जाएगा।

12. प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर सम्यक् विचार कर जिला दंडाधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण करेगा।

13. निर्धारित ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रपत्र–2 में कर जिला गजट में प्रकाशित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/1/26

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–6प०/प०नि०/01–03/2026/10745/पं०रा० पटना, दिनांक 20/1/26
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाए।

20/07/26

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—6प० / प०नि० / 01—03 / 2026 / 10745 / पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार / महालेखाकार, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव और सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सदस्य सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) / सभी उप विकास आयुक्त / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज / सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

20/07/26

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

प्रपत्र–1

जिला दंडाधिकारी .... का कार्यालय

प्रारूप प्रकाशन

संख्या – .... ग्राम पंचायत – .... दिनांक ....

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणी के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाता है :–

जिला – .... प्रखंड – ....

ग्राम पंचायत का नाम	चौहद्दी	पंचायत क्षेत्र के गाँव या गाँवों का नाम	थाना संख्या	स्तंभ–3 में उल्लिखित प्रत्येक गाँव की जनसंख्या	ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की विनिश्चित संख्या				मुख्यालय	अभ्युक्ति
						अनु0 जाति	अ0ज0 जाति	पिछड़े वर्ग	स्तंभ 7, 8 एवं 9 का योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

इस संबंध में 15 दिनों के अंदर जो भी सुझाव/आपत्ति अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होगी, उनपर विचार किया जाएगा।

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र—2

जिला दंडाधिकारी .... का कार्यालय

अंतिम प्रकाशन

संख्या – ....   ग्राम पंचायत – ....   दिनांक ....

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणी के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाता है :–

जिला – ....   प्रखंड – ....

ग्राम पंचायत का नाम	चौहद्दी	पंचायत क्षेत्र के गाँव या गाँवों का नाम	थाना संख्या	स्तंभ–3 में उल्लिखित प्रत्येक गाँव की जनसंख्या	ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की विनिश्चित संख्या				मुख्यालय	अभ्युक्ति
						अनु0 जाति	अ0ज0 जाति	पिछड़े वर्ग	स्तंभ 7, 8 एवं 9 का योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर

पटना में दिनांक—15 जुलाई, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः—

	अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग		
2.	पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 से 2030—31 तक योजना का अवधि विस्तार एवं बजट में उपबंधित राशि की व्यय की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।
	खान एवं भूतत्व विभाग		
3.	बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	गृह विभाग (कारा)		
4.	बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक —सह— कक्षपाल का मासिक मानदेय रू19,800 / —(उन्नीस हजार आठ सौ रूपये) से बढ़ाकर रू० 30,000 / —(तीस हजार रूपये) करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	गृह विभाग (कारा)		
5.	बिहार राज्य की काराओं में मृतक बंदियों के विधिक आश्रित / निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी को मुआवजा भुगतान हेतु नीति बनाये जाने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।
	नगर विकास एवं आवास विभाग		
6.	केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत हाजीपुर सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रू० 232,90,04,631 / —(दो सौ बत्तीस करोड़ नब्बे लाख चार हजार छह सौ इकतीस रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।
	नगर विकास एवं आवास विभाग		
7.	केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 170,86,22,260 / —(एक सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख बाईस हजार दो सौ साठ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 197,12,79,592/–(एक सौ सत्तानवे करोड़ बारह लाख उनासी हजार पाँच सौ बानवे रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 228,45,36,700/–(दो सौ अट्ठाइस करोड़ पैंतालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

10. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटरवाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संलग्न परिशिष्ट–"क" के अनुरूप संशोधन की स्वीकृति के संबंध मे। — 10. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

11. कैमूर जिलान्तर्गत माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारू संचालन एवं समुचित देख–रेख हेतु माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति, कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

12. सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किये जाने के लिए स्वीकृत वृहद् योजना के ससमय एवं सुचारू क्रियान्वयन तथा योजना पूर्ण होने के उपरांत निर्मित परिसम्पतियों के प्रभावी संचालन तथा प्रबंधन संबधित कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के उद्देश्य से गठित श्री जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम मंदिर न्यास समिति, ग्राम–पुनौरा, जिला –सीतामढ़ी के विधिवत निबंधन और वैधता के संबंध में तैयार किये गये ट्रस्ट डीड (Trust Deed) के अनुमोदन एवं पुनौराधाम के विकास हेतु अर्जित की गयी 50.8925 एकड़ भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के विभागीय पत्रांक–636 दिनांक–12.03.1991 की कंडिका–ख को शिथिल करते हुए उक्त न्यास समिति को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

13. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत (कर, दर एवं शुल्क) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

14. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों प्रति युनिट अनावर्ती मद में रू० 42.97 लाख (बयालीस लाख संतानवे हजार) प्रत्येक 5 वर्ष के लिए तथा आवर्ती मद में रू० 63.38 लाख (तिरसठ लाख अड़तीस हजार) वार्षिक के अनुसार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किये जाने तथा विभाग अन्तर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

15. बिहार स्टेट आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (AI CoE) कॉरपोरेशन के गठन तथा इससे संबंधित मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

16. बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, 2026 के स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

17. राज्य में धार्मिक पर्यटन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनावद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत "बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड (Bihar State Ropeways Company Limited)" का गठन के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

18. बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली, 2026 के स्वीकृति के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति, बिहार, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

20. स्वीकृत्यादेश संख्या–40, दिनांक–19.01.2026 को निरस्त करते हुए भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नामकरण अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने तथा इसके निर्माण हेतु भागलपुर जिला में संशोधित 1425.1148 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹5,56,11,85,728/–(पाँच सौ छप्पन करोड़ ग्यारह लाख पचासी हजार सात सौ अठाईस रूपये) मात्र तथा मुंगेर जिला में 1720.1160 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹7,73,46,84,361/–(सात सौ तिहत्तर करोड़ छियालिस लाख चौरासी हजार तीन सौ इकसठ रूपये) मात्र अर्थात कुल 3145.2308 एकड़ भूमि के विरूद्ध कुल अनुमानित मुआवजा राशि ₹13,29,58,70,089/–(तेरह सौ उनतीस करोड़ अंठावन लाख सत्तर हजार नवासी रूपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

21. राजगीर तथा रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

22. बिहार उड्डयन संस्थान के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु ऐयरों क्लब ऑफ इण्डिया से मल्टी इंजन Beechcraft Baron G58 विमान की सेवा प्राप्ति हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131झ (त) के परिशिष्ट–16 की कंडिका–3 के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं प्रतिमाह ₹6,50,000/–(छः लाख पचास हजार रूपये) की दर से कुल वार्षिक व्यय ₹78,00,000/–(अठहत्तर लाख रूपये) मात्र की दर पर अधिप्राप्ति के निमित्त प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

गृह विभाग

23. मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत विधि–व्यवस्थ संधारण, अपराध नियंत्रण, शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थान आदि से आने–जाने के क्रम में लड़की/महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों (पुलिस दीदी) के लिए 1500 अदद स्कूटी एवं पुलिस कर्मियों के लिए 3200 अदद मोटरसाईकिल को आंशिक संशोधन करते हुए 1500 अदद स्कूटी के स्थान पर 1500 अदद स्कूटर का क्रय एवं बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के तहत 1500 अदद स्कूटर में से 1000 अदद पेट्रोल एवं 500 अदद इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्रय की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

24. श्री रामाकान्त प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना (सेवानिवृत्ति की तिथि–30.06.2024) की संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक–01.07.2026 से 30.06.2027 (01 वर्ष) तक विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

30. राज्य सरकार के सात निश्चय–3 (2025–30) ''उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य'' के अन्तर्गत पूर्व में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के अतिरिक्त राज्य के अन्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के रूप में चयन एवं संचालन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

31. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 11 की उप–धारा (1) के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, धारा 12 की उप–धारा (2) के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद् प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर गठन/परिसीमन एवं संबंधित अधिसूचना प्रारूप (अनुलग्नक–1, 2, 3, 4 एवं 5) पर स्वीकृति के संबंध में। — 31. स्वीकृत।

वर्ष 2022–2023 में कराये गए जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े हेतु विहित प्रपत्र

क्रं0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	संबंधित राजस्व ग्राम का नाम	वार्डवार जनसंख्या			
						कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग